कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर

(नेहरू नगर, आर0पी0ए0 रोड, जयपुर, फोन 0141–2301584, फैक्स 0141–2301859)
ई–मेलः director.fsl@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– र.4(2)लेबो–संस्था/2021/7071-80 दिनांक :–27.06.2023

–: आदेशः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020–21 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारम्भ करने की घोषणा को क्रियान्वित करने के क्रम में राज्य के अजमेर रेंज के जिला अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर एवं जीआरपी अजमेर के डी.एन.ए. परीक्षण से संबंधित प्रकरणों (महिला उत्पीडन, पोक्सो प्रकरण, बलात्कार, हत्या की पहचान, इत्यादि) का परीक्षण कार्य वर्तमान में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में किया जा रहा था। इन प्रकरणों का परीक्षण कार्य दिनांक 03.07.2023 से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में प्रारम्भ किया जाएगा।

अतः डी.एन.ए. परीक्षण से संबंधित प्रकरणों के प्रादर्शों की एफ.एस.एल. की वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अजमेर रेंज के जिला क्रमशः अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर एवं जीआरपी अजमेर के प्रकरणों के परीक्षण हेतु अग्रेषण पत्र मय प्रादर्शों के निम्नलिखित पते पर भिजवाने का श्रम करावें:–

अतिरिक्त निदेशक,
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
जनाना अस्पताल के सामने,
सीकर रोड़ अजमेर–305004
दूरभाष नं.– 0145–2942581
ई–मेल– rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in

27/6/23
(डॉ. अजय शर्मा)
निदेशक,
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान।

ई.ओ.बी.:– 254
दिनांक:– 27/6/23

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप–1) राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रेंज अजमेर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर एवं जीआरपी अजमेर ।
6. अतिरिक्त निदेशक, प्रयोगशाला, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर अजमेर।
7. उप निदेशक (जैविक/सीरम), मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर।
8. सहायक निदेशक (जैविक/सीरम), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अजमेर।
9. लेखाधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
10. ड्यूटी ऑफिसर/निजी सहायक/सामान्य शाखा/भण्डार शाखा, मुख्य प्रयोगशाला जयपुर।
11. ई.ओ.बी.।

27/6/23
निदेशक